न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी : श्री के. आर. [illegible], R.A.S.

प्रकरण संख्या 15 / 2018

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

उनवान

[illegible]

निवासी - देवपुर — प्रार्थी / प्रार्थीगण

बनाम

[illegible]

निवासी - देवपुर — विपक्षी / विपक्षीगण

उपस्थित :— श्री [illegible] अभिभाषक - प्रार्थीगण

दिनांक 19/12/18

निर्णय

प्रार्थी / प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षी / विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है :– प्रार्थी / प्रार्थीगण के ग्राम देवपुर तहसील शाहपुरा / —— जिला भीलवाड़ा मे स्थित आराजी खसरा नम्बर 637 रकबा 0.43 है. 1654/1774 रकबा 0.03 है, 1656 रकबा 0.78 है, 84/5 रकबा 0.06 है कुल किता 4 रकबा 1.30 हैक्टयर का प्रार्थी / प्रार्थीगण खातेदार / संयुक्त खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के प्रार्थी / प्रार्थीगण एवं विपक्षी / विपक्षीगण के मध्य आराजी के विपक्षी / विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थी / प्रार्थीगण एवं विपक्षी / विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है अतः पत्थरगढ़ी कराई जावे।

प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर विपक्षी / विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी / विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थी / प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम देवपुर संवत 2071 से 2074 तक का अवलोकन किया प्रार्थी / प्रार्थीगण खातेदार / संयुक्त खातेदार दर्ज होकर अपनी उपरोक्त वर्णित आराजीयात के पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अतः प्रार्थी / प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा देवपुर मे स्थित प्रार्थी / प्रार्थीगण की उपरोक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी खातेदारी / संयुक्त खातेदारी की आराजीयात किता 4 रकबा 1.30 हैक्टयर की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान की मौजूदगी मे अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो व कोई प्रकरण न्यायालय मे विचाराधीन न हो तो कब्जे मे हस्तक्षेप नही करते हुए पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा / —— को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 300/- रूपये कायम किये जाते है जो प्रार्थी / प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करे। तहसीलदार शाहपुरा / —— बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 19/12/18 को सरे इजलास सुनाया गया।

(के. आर. [illegible])

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (भीलवाड़ा) [seal]

प्रतिलिपिः–तहसीलदार, शाहपुरा / —— पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी मे नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा (भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner